महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा **'A'** ग्रेड प्रदत्त / **NAAC Accreditation 'A' Grade**

ज्ञान शांति मैत्री

क़ादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव

Acting Registrar

दूरभाष क्र./Phone no.: 07152-230902

No.: 04/Exam/UGC-MHRD/2020/1650

Date: 02.06.2020 03

परिपत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2020 को जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 12 के अनुसार पी-एच.डी. की मौखिकी परीक्षा (Viva-voce) वीडियो कांफ्रेंसिंग (Google, Skype, Microsoft Technologies आदि) के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उक्त के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये है –

1. शोधार्थी को अपने शोध प्रबंध की तीन हार्ड बाउंड प्रतियाँ लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त होने और निर्बाध यात्रा संभव होने की स्थिति से 01 माह के भीतर जमा करना होगा।

2. शोधार्थी को एक माह के भीतर शोध प्रबंध की हार्ड बाउंड प्रति जमा करने की घोषणा के साथ एक ई-मेल संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालयीन ई-मेल पर भेजना होगा। इस आधार पर संबंधित शोधार्थी की पी-एच.डी. उपाधि दिये जाने के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया की जा सकेगी, किंतु उपाधि पत्र स्थायी या अस्थायी प्रमाण-पत्र शोध प्रबंध की हार्ड बाउंड प्रति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्गत की जाएगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।

क़ादर नवाज़

(क़ादर नवाज़ ख़ान)

03/06/2020

प्रति सूचनार्थ-

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. प्रति कुलपति द्वय कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
3. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
4. संबंधित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्राध्यक्ष/अकादमिक निदेशक/केंद्र प्रभारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
5. प्रभारी, लीला- विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोडक कराने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।